

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1727 / 2007 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-I, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-II, राज0 जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम
मै0 दीपू रोड लाईन्स,
8721, रोशन आरा रोड, दिल्ली।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक
प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 20 / 10 / 2016

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 22/आरएसटी/एनआरडी/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-प्रथम, वृत्त-द्वितीय, राज., जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.1999 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत कायम शास्ति रू0 84,847/- को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.01.1999 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन संख्या डीएल-1जीए/9495 को चेक किया। वाहन में लदे परचून माल के दस्तावेज चैक किये गये। वक्त जांच माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा मै0 दीपू रोडलाईन्स का चालान नं 15494-95 दिनांक 07.01.1999 तथा चालान के अनुसार 26 बिल्टियां पायी गयी। बिल्टियों के साथ संलग्न बिलों की जांच करने पर पाया कि बिल्टी के साथ संलग्न अधिकांश बिल फर्जी एवं बोगस थे। इस कारण कन्साइनी एवं कन्साइनर फर्मों के सत्यापन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये एवं संबंधित दिल्ली के व्यवसायियों के बिलों को सत्यापन हेतु कम्प्यूटर सेल में भेजा गया, जिसमें से 8 बिलों के व्यवसायी पंजीकृत पाये गये एवं शेष 18 बिलों के व्यवसायी दिल्ली में पंजीकृत नहीं पाये गये। इस प्रकार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा धारा 78(2) का उल्लंघन होने से, नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में मै0 दीपू रोडलाईन्स के मैनेजर ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए, कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.1999 द्वारा असत्यापित बिल्टियों के माल रू0 2,82,822/- पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रू0 84,847/- आरोपित की। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2006 द्वारा

लगातार:.....2

- प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।
 4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
 5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज मौजूद थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन में लदे परचून माल के दस्तावेज चैक किये गये, जिसमें मै0 दीपू रोडलाईन्स का चालान नं 15494-95 दिनांक 07.01.1999 तथा चालान के अनुसार 26 बिल्टियां पायी गयी। बिल्टियों के साथ संलग्न बिलों की जांच करने पर पाया कि बिल्टी के साथ संलग्न अधिकांश बिल फर्जी एवं बोगस थे। इस कारण कन्साइनी एवं कन्साइनर फर्मों के सत्यापन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये एवं संबंधित दिल्ली के व्यवसायियों के बिलों को सत्यापन हेतु कम्प्यूटर सेल में भेजा गया, जिसमें से 8 बिलों के सत्यापन पाये गये एवं शेष 18 बिलों के व्यवसायी दिल्ली में पंजीकृत नहीं पाये गये। माल दिल्ली से लाया गया एवं अन्य राज्यों हैदराबाद, मद्रास व दक्षिण भारत में पहुँचाया गया अर्थात् समस्त माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि राजस्थान राज्य से माल भरा व उतारा गया हो। व्यवहारी द्वारा अपने जवाब दिनांक 28.01.1999 के साथ माल आंध्रप्रदेश व अन्य राज्यों में पहुँचाने का उल्लेख है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि माल राज्य के बाहर से आया था तथा राज्य बाहर परिवहनित हो चुका है, जिसमें राजस्थान राज्य के कर का अपवंचन होना नहीं पाया जाता है। प्रत्यर्थी का करापवंचन का कोई दोषी मनोभाव नहीं था अभियोग पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों के अनुसार परिवहनित माल वांछित दस्तावेजों से समर्थित था। इस कारण शास्ति आरोपण की कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण, उपायुक्त अपीलस ने उचित आधार पर अपास्त की है, जो उचित है।
 6. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 11.10.2006 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)

अध्यक्ष